



## शिक्षा विभाग (जन शिक्षा निदेशालय)

बिहार सरकार

### आवश्यक सूचना

महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना के अधीन संचालित कार्यक्रम के अन्तर्गत कार्यरत उत्थान केन्द्रों एवं तालीमी मरकज केन्द्रों के अनुश्रवण/प्रबोधन हेतु प्रखण्ड स्तर पर के० आर० पी० (Key Resource Person) के रिक्त पदों पर चयन करने के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन प्राप्त किया जाना है।

के० आर० पी० माह में कम से कम 20 दिन का अनुश्रवण करेंगे, जिन्हें अनुश्रवण भत्ता के रूप में प्रतिदिन 500 रु० की दर से (20 दिन x 500) अधिकतम 10,000/- रु० मासिक अनुश्रवण भत्ता का भुगतान किया जाएगा। इस पद पर चयनित व्यक्ति भविष्य में नियमित नियुक्ति/नियमतीकरण का कोई दावा नहीं करेंगे और न ही ऐसा कोई दावा विचारणीय होगा।

(I) के० आर० पी० (Key Resource Person) के चयन हेतु शर्तें निम्नवत् हैं :-

1. आवेदन के लिये न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी।
2. आवेदक की उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत वैसे साक्षरता कर्मी जिनके द्वारा अनुश्रवण/प्रबोधन का अनुभव (क्रमांक II (छ) के अनुसार) प्राप्त हो, के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष 01 जनवरी, 2024 को आधार मानकर की जाएगी।
3. के० आर० पी० (Key Resource Person) का पद अवैतनिक एवं पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है। साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयंसेवक/व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।
4. के० आर० पी० (Key Resource Person) का मुख्यालय प्रखण्ड कार्यालय होगा। कार्यक्रम के लिए योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों से युक्त व्यक्ति के० आर० पी० (Key Resource Person) के रूप में ज्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसी अपेक्षा की जाती है।
5. आवेदक उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए, जिस जिले के लिए वो आवेदन कर रहा हो। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र मान्य होगा तथा उसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न करनी होगी।

6. वैसे कर्मी जो किसी अन्य संस्थान/विभाग में कार्यरत नहीं हो, केवल वो ही के० आर० पी० (Key Resource Person) की पात्रता के उम्मीदवार होंगे।
7. आवेदन पत्र के साथ स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना आवश्यक होगा।
8. अभ्यर्थी को मोबाईल/कम्प्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु उनके पास एन्ड्रायड/स्मार्ट फोन होना आवश्यक है।
- II. अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा। मेधा सूची में निम्नप्रकार से अंक दिए जायेंगे -

(क)	मैट्रिक	-	अधिकतम 30 अंक
(ख)	इंटर	-	अधिकतम 30 अंक
(ग)	स्नातक	-	अधिकतम 30 अंक

(उपर्युक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 10 अंक, 45-59 प्रतिशत तक को 20 अंक एवं 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होने पर 30 अंक दिये जायेंगे। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थी के लिए कुल विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत लिया जायेगा)

- (घ) स्नाकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता - 10 अंक
- (च) साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष - 05 अंक अधिकतम 40 अंक
- (छ) उम्र सीमा में छूट एवं अनुभव अंकों के अधिभार का लाभ न्यूनतम 03 वर्षों का साक्षरता में अनुश्रवण/प्रबोधन कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को देय होगा।
- (ज) उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट एवं प्राप्त अंकों में मिलने वाले लाभ स्नातक एवं स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण साक्षरता कर्मी (अनुश्रवण/प्रबोधन कार्य के अनुभव प्राप्त करने) पर समान रूप से लागू होगा।

(साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के कार्य अनुभव उनके अनुश्रवण/प्रबोधन कार्य के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत किया जायेगा, जिसका अनुमोदन सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक होगा)

- (झ) उपरोक्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र एवं अनुभव प्रमाण पत्र एवं अन्य प्रमाण पत्र स्व-अभिप्रमाणित कर संलग्न करना आवश्यक होगा जिसकी विवरणी निम्नवत् है -

- मैट्रिक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र
- इंटर का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र
- स्नातक का प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र
- स्नातकोत्तर (यदि आवेदक स्नाकोत्तर पास है) का प्रमाण पत्र



- सम्बन्धित जिला में निवास करने सम्बन्धित अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र
  - अत्यंत पिछड़ी जाति/पिछड़ी जाति के उम्मीदवारों को अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत क्रिमीलेयर रहित जाति प्रमाण पत्र
  - अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अंचल अधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र
  - आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों के लिए अंचल अधिकारी/राजस्व अधिकारी से निर्गत प्रमाण पत्र
- (च) मैट्रिक, इन्टर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर या समकक्ष के प्राप्तांक (प्रतिशत में) के आधार पर ऊपर दिये गये निर्धारित अंक देते हुए इसे जोड़कर मेधा सूची तैयार की जाएगी।
- (छ) समान मेधा अंक (प्राप्तांक) रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी। समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जाएगा।
- (ज) चयनित अभ्यर्थी को नियोजन के पूर्व शपथ-पत्र एवं एकरारनामा दायर करना होगा कि वे भविष्य में कभी भी स्थायी नियोजन या वेतनमान की माँग नहीं करेंगे। यह नियुक्ति शुद्ध अस्थायी रूप से तीन वर्षों के लिए की जाएगी। उनके कार्य का सतत मूल्यांकन किया जाएगा, उत्कृष्ट पाये जाने पर आगे भी उनकी सेवा जारी रखी जाएगी, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।
- (II) के० आर० पी० (Key Resource Person) के चयन हेतु विहित प्रपत्र में राज्य स्तर पर ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किए जायेंगे।
- (III) राज्य स्तर पर NIC के द्वारा मेधा के अनुसार जिलावार पैनल तैयार कर सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को उपलब्ध कराया जाएगा। मेधा सूची जिला के वेबसाईट पर ऑनलाईन प्रकाशित की जायेगी तथा इस पर आपत्ति प्राप्त की जायेगी। मेधा सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि प्रकाशन-तिथि के 15 दिनों तक निर्धारित की जायेगी। आपत्ति प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के अन्दर आपत्ति की जाँच कर लिखित निर्णय लिया जायेगा। संशोधित सूची कमिटी द्वारा अनुमोदित कराकर जिला के वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेगी। यह सूची एक वर्ष के लिए वैध होगी।
- (IV) जिला स्तर पर चयन के लिए जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में समिति गठित है। राज्य स्तर से जिला को उपलब्ध कराये गये पैनल पर जिला स्तरीय विचार करेगी। अभ्यर्थी के सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों और अन्य सम्बन्धित कागजातों आदि की जाँच जिला स्तर पर की जायेगी। तत्पश्चात् योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। तैयार किया गया पैनल एक वर्ष तक मान्य होगा। इस अवधि में अगर कोई रिक्ति प्रतिवेदित होगी तो इसी पैनल से कमिटी द्वारा चयन किया जाएगा।

- (V) चयन पर दावा-आपत्ति होने की स्थिति में 15 दिनों के अन्दर चयन के विरुद्ध प्रथम अपील सम्बन्धित जिला पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पुनः 15 दिनों के अन्दर द्वितीय अपील अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, जन शिक्षा के समक्ष की जा सकती है, जिसका निराकरण 30 दिनों के अन्दर किया जायेगा।
- (VI) चयन की शर्तों अथवा पैनल की मान्यता या किसी प्रकार के मतभेद की स्थिति में विभाग द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं सर्वमान्य समझा जायेगा।
- (VII) अभ्यर्थी अपने गृह जिला के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के विरुद्ध ही आवेदन कर सकेंगे।

आवेदन ऑनलाइन के माध्यम से करना है। वर्तमान में उपलब्ध 269 रिक्तियों का जिलावार/कोटिवार विवरण एवं चयन से सम्बन्धित मार्गदर्शिका एवं अन्य विवरण के साथ-साथ आवेदन का विहित प्रपत्र शिक्षा विभाग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।



(अनिल कुमार)

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव,  
बिहार, पटना।



क्र० सं०	जिला का नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त के०आर०पी० की संख्या	अनुसूचित जाति वर्गों की संख्या											
				अनारक्षित (U.R)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	अनारक्षित महिला (URF)	अनुसूचित जाति (SC)	पिछड़ा वर्ग (BC)	अधिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अधिक रूप से कमजोर वर्ग महिला (EWSF)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला (EBCF)	अनुसूचित जाति महिला (SCF)	पिछड़े वर्गों की महिला (RF)	पिछड़ा वर्ग महिला (BCF)	अनुसूचित जनजाति (ST)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	पटना	23	12	2	2	1	3	0	1	0	1	1	0	0	1
2	नालन्दा	20	8	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
3	बक्सर	11	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
4	भोजपुर	14	3	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	1
5	रोहतास	19	5	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0
6	कैमुर	11	5	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
7	गया	24	4	0	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	जहानाबाद	7	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
9	अरवल	5	4	2	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	औरंगाबाद	11	9	2	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
11	नवादा	14	8	0	3	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
12	मुजफ्फरपुर	16	6	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
13	सीतामढ़ी	17	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
14	शिवहर	5	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	वैशाली	16	5	0	2	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
16	पूवी चम्पारण	27	26	4	4	2	3	3	2	1	2	2	0	2	1
17	पश्चिमी चम्पारण	18	18	3	3	2	2	2	1	1	1	1	0	1	1
18	सारण	20	19	5	5	0	3	3	2	0	0	0	0	0	1
19	सीवान	19	19	3	3	2	2	2	2	0	2	1	0	1	0
20	गोपालगंज	14	12	2	2	1	1	2	1	0	0	0	0	0	1
21	दरभंगा	18	4	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
22	मधुबनी	21	5	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0

4

8

4



महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक प्रतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना

के० आर० पी० के रिक्त पदों के रोस्टर विवरण

क्र० सं०	जिला का नाम	कुल पदों की संख्या	रिक्त के०आर०पी० की संख्या	के० आर० पी० के रिक्त पदों के रोस्टर विवरण											
				अनारक्षित (U.R)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (EBC)	अनारक्षित महिला (URF)	अनुसूचित जाति (SC)	पिछड़ा वर्ग (BC)	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	अर्थिक रूप से कमजोर वर्ग महिला (EWSF)	अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला (EBCF)	अनुसूचित जाति महिला (SCF)	पिछड़े वर्गों की महिला (RF)	पिछड़ा वर्ग महिला (BCF)	अनुसूचित जनजाति (ST)
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23	समस्तीपुर	20	9	1	3	0	2	0	2	0	0	0	0	0	1
24	बेगुसराय	18	8	0	2	0	1	2	2	0	0	0	0	0	1
25	खगड़ीया	7	7	2	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
26	पूर्धिया	14	4	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	0	0
27	अररिया	9	6	1	1	0	1	2	1	0	0	0	0	0	0
28	कटिहार	16	4	1	0	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0
29	किशनगंज	7	4	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
30	सहरसा	10	7	0	2	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
31	सुपौल	11	6	1	2	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0
32	मधेपुरा	13	6	0	3	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
33	मुंगेर	9	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
34	शेखपुरा	6	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
35	लखीसराय	7	2	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
36	जमुई	10	5	1	1	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0
37	भागलपुर	16	10	3	1	0	2	3	1	0	0	0	0	0	0
38	बांका	11	4	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
	योग	534	269	42	63	8	62	38	23	2	8	8	0	5	10

hst

h

h

(अनिंद कृष्ण)

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव, बिहार, पटना।

बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग

आदेश !

पटना दिनांक- 11.10.2022 /

संख्या-13/वि० 03-21/2021...1539/महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन से संबंधित मार्गदर्शिका-2020 विभागीय पत्रांक-1884 दिनांक 10.12.2020 के द्वारा निर्गत की गई है। उक्त मार्गदर्शिका के कंडिका-04 में विभागीय पत्रांक-131 दिनांक 02.02.2022 के द्वारा आंशिक संशोधन किया गया था। सरकार द्वारा उक्त मार्गदर्शिका की कंडिका-03 एवं 04 में निम्नांकित संशोधन करने का निर्णय लिया गया है -

(3)(ii) आवेदक की उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। कार्यक्रम के अन्तर्गत वैसे साक्षरता कर्मी जिनके द्वारा अनुश्रवण/प्रबोधन का अनुभव प्राप्त हो, के प्रमाण पत्र के आधार पर अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्ष की छूट देय होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष 01 जनवरी को आधार मानकर की जायेगी।

(4) अभ्यर्थी का चयन मेधा सूची के आधार पर किया जायेगा। मेधा सूची में निम्न प्रकार से अंक दिये जायेगे।

- (क) मैट्रिक - अधिकतम 30 अंक।  
(ख) इन्टर - अधिकतम 30 अंक।  
(ग) स्नातक - अधिकतम 30 अंक।


(उपर्युक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 10 अंक, 45-59 प्रतिशत तक को 20 अंक एवं 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होने पर 30 अंक दिये जायेगे। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थी के लिए कुल विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को लिया जायेगा)।

- (घ) स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता - 10 अंक।  
(च) साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी को अनुभव के आधार पर प्रति वर्ष-05 अंक अधिकतम 40 अंक।  
(छ) उम्र सीमा में छूट एवं अनुभव अंको के अधिभार का लाभ न्यूनतम 03 वर्षों का साक्षरता में अनुश्रवण/प्रबोधन कार्य का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों को देय होगा।  
(ज) उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट एवं प्राप्त अंकों में मिलने वाले लाभ स्नातक एवं स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता उत्तीर्ण साक्षरता कर्मी (अनुश्रवण/प्रबोधन कार्य के अनुभव प्राप्त करने) पर सामान रूप से लागू होगा।

(साक्षरता का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थी के कार्य अनुभव उनके अनुश्रवण/प्रबोधन कार्य के आधार पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र उनके कार्यालय से निर्गत किया जायेगा, जिसका अनुमोदन संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी से आवश्यक होगा)।

मार्गदर्शिका की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी।

प्रस्ताव पर राक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।


  
(दीपक कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।



ज्ञापांक-13/वि० 03-21/2021.....1539.../ पटना, दिनांक- 11/08/2022.../

प्रतिलिपि :- सभी जिला पदाधिकारी/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)/सभी एस0आर0पी0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

  
अपर मुख्य सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।



बिहार सरकार,  
शिक्षा विभाग

266

प्रेषक,

कुमार रामानुज,  
निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,  
बिहार।

पटना, दिनांक-...../

विषय :- महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2020 के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका, 2020 तैयार की गई है (प्रति संलग्न)। इसे पत्र निर्गत की तिथि से लागू किया जाता है।

2. इस संबंध में अंकित करना है कि इस मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निदेश जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरसित समझे जायेंगे।

3. विभाग के स्तर से पूर्व में मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का चयन अस्थायी तौर पर स्थगित रखा गया था, को निरस्त करते हुए निदेश दिया जाता है कि संलग्न मार्गदर्शिका, 2020 के आलोक में रिक्त पदों पर चयन एवं नियोजन किये जायेंगे।

4. यह मार्गदर्शिका, 2020 की सेवाशर्त पूर्व से कार्यरत मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) पर भी लागू होगी। मुख्य स्रोत व्यक्ति चयन हेतु राज्य स्तर पर विहित प्रपत्र में ऑनलाईन आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। राज्य स्तर पर जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) को उपलब्ध कराया जायेगा। तत्पश्चात् मार्गदर्शिका, 2020 में निहित निदेशों के अनुसार चयन/नियोजन का कार्य जिला स्तर से होगा। इससे संबंधित प्रक्रिया मार्गदर्शिका में वर्णित है।

5. चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका से संबंधित प्रस्ताव में प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

अनु०:- यथोपरि।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(कुमार रामानुज)

निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1884...../

पटना, दिनांक-10/12/2020...../

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक की प्रति के साथ सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (माध्यमिक शिक्षा एवं साक्षरता) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनुमोदित


निदेशक, जन शिक्षा-सह-अपर सचिव,  
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।



शिक्षा विभाग

# महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आंचल योजना

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त से  
संबंधित मार्गदर्शिका-2020



जन शिक्षा निदेशालय  
तृतीय मंजिल, कमरा सं०-351, विकास भवन, नया सचिवालय, बेली रोड, पट



## मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित मार्गदर्शिका-2020

### 1. प्रस्तावना

- वित्तीय वर्ष 2009-10 में राज्य सरकार द्वारा अभिवंचित तबकों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक उन्नयन के लिए मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना का संचालन सभी जिलों में किया गया।
- योजना के सफल संचालन हेतु प्रत्येक जिले के लिए एक एस0आर0पी0 (राज्य संसाधन व्यक्ति) तथा प्रखण्ड स्तर पर एक मुख्य स्रोत व्यक्ति (के0आर0पी0) का चयन किया गया था।
- राज्य स्तरीय प्रशिक्षणोपरान्त के0आर0पी0 द्वारा अपने-अपने जिला में उस समय के तत्कालीन जिला जन शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा आवंटित प्रखण्डों में अक्षर दूतों को प्रशिक्षण दिया जाता था एवं अक्षर आँचल केन्द्रों का अनुश्रवण किया जाता था।
- अक्षर आँचल योजना की समाप्ति के पश्चात् राज्य-सम्पोषित महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना एवं साक्षर भारत योजना के अन्तर्गत इनके द्वारा विभिन्न विषयों यथा-प्रवेशिका पढ़ाने के तरीके, अक्षर मेला, कार्यक्रम संचालन, सर्वे, महापरीक्षा इत्यादि से संबंधित प्रखण्ड स्तरीय प्रशिक्षण दिए गए।
- प्रारंभ में प्रत्येक जिले में प्रखण्ड स्तर पर कार्यक्रम के संचालन हेतु 16 (08 पुरुष एवं 08 महिला) अनुभवी साक्षरता कर्मियों को जिला स्तर पर चयनित कर के0आर0पी0 बनाया गया था, अर्थात्-24 प्रखण्ड के जिला में भी 16 के0आर0पी0 एवं 07 प्रखण्ड के जिला में भी 16 के0आर0पी0।
- इस व्यवस्था से जिन जिलों में प्रखण्डों की संख्या अधिक थी, वहाँ 16 के0आर0पी0 के माध्यम से कार्यक्रम के प्रबोधन/अनुश्रवण में परेशानी होती थी। इसे देखते हुए निर्णय लिया गया कि सभी प्रखण्ड में 01 के0आर0पी0 होंगे, अर्थात्- प्रखण्डों की संख्या के अनुरूप छोटे जिले में के0आर0पी0 की संख्या कम की गयी तथा बड़े जिले में संख्या बढ़ायी गयी। इससे एकरूपता आ गई और प्रत्येक प्रखण्ड के लिए 01 के0आर0पी0 कार्य करने लगे।
- वित्तीय वर्ष 2009-10 में मुख्यमंत्री अक्षर आँचल योजना के समय जिन अनुभवी साक्षरता कर्मियों को रखा गया था, उनमें से कई बाद में नियोजित शिक्षक बन गये। जन अभियान एवं साक्षरता के अनुभव को देखते हुए इनसे के0आर0पी0 के रूप में कार्य लिया जाता रहा है।

- अनुश्रवण हेतु के0आर0पी0 को कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, बल्कि यात्रा-भत्ता का भुगतान किया जाता है।
- वर्तमान में कुल 420 के0आर0पी0 कार्यरत हैं, जिनमें से 114 शिक्षक तथा 306 गैर शिक्षक हैं। शिक्षक के0आर0पी0 को अनुश्रवण/प्रबोधन हेतु 500/- रुपये की दर से अधिकतम 15 दिनों के लिए प्रतिमाह 7,500/- रुपये तथा गैर-शिक्षक के0आर0पी0 को अनुश्रवण/प्रबोधन हेतु 500/- रुपये की दर से अधिकतम 20 दिनों के लिए प्रतिमाह 10,000/- रुपये का भुगतान किया जाता है।

अक्षर आँचल योजना में राज्य के हर प्रखण्ड में योजना के अनुश्रवण एवं सहयोग के लिए एक के0आर0पी0 का प्रावधान है। परन्तु उनके चयन एवं सेवाशर्त से संबंधित कोई निर्देशिका पूर्व से नहीं है। इसी परिप्रेक्ष्य में यह मार्गनिर्देशिका तैयार की गई है, जिस पर शासन का अनुमोदन प्राप्त करना तथा इसे क्रियान्वित करवाना आवश्यक है।

## 2. रिक्ति का निर्धारण एवं चयन

- मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का चयन आरक्षण रोस्टर के अनुरूप जिला को इकाई मानते हुए किया जाएगा। जिला अन्तर्गत प्रखण्डों की संख्या के अनुरूप रोस्टर बिंदु का पालन करते हुए आरक्षण-तालिका तैयार की जाएगी।
- पूर्व से कार्यरत KRP (गैर शिक्षक) जिस श्रेणी के हैं, उस श्रेणी के आरक्षित पद के विरुद्ध उन्हें कर्णांकित कर भरा हुआ माना जाएगा। शेष रह गई रिक्तियों के विरुद्ध चयन की प्रक्रिया की जाएगी।
- पूर्व से कार्यरत शिक्षक के0आर0पी0 या किसी अन्य संस्था से मानदेय/वेतन पाने वाले के0आर0पी0 के पद को रिक्त माना जाएगा। इन पदों पर रोस्टर के अनुरूप चयन-प्रक्रिया करने के पश्चात् पूर्व से कार्यरत के0आर0पी0 को चयन-मुक्त किया जायेगा।
- जिला में रोस्टर के अनुसार कोटिवार रिक्ति एवं कार्यरत गैर-शिक्षक के0आर0पी0 की संख्या का मिलान करने पर अगर किसी आरक्षित कोटि में या गैर-आरक्षित कोटि में कार्यरत के0आर0पी0 (कोटि के अनुसार) की संख्या उपलब्ध रिक्ति से अधिक हो, तो बाद में नियुक्त कर्मी (जिनका चयन अन्य के0आर0पी0 के बाद हुआ हो), को चयनमुक्त कर दिया जाएगा।
- यदि किसी अरक्षित कोटि में कार्यरत के0आर0पी0 की संख्या उपलब्ध रिक्ति से अधिक हो तथा उनके योगदान की तिथि एक समान हो, तो वैसी स्थिति में जिनकी शैक्षणिक योग्यता/कुल प्राप्तांक का प्रतिशत कम होगा, उन्हें चयनमुक्त किया जायेगा।



### 3. चयन हेतु योग्यता

- (i) आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता-प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष होगी।
- (ii) आवेदक की उम्र न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष होगी। उम्र की गणना नियोजन वर्ष 01 जनवरी को आधार मानकर की जाएगी।
- (iii) के0आर0पी0 का पद अवैतनिक एवं पूर्णतः अस्थायी प्रकृति का है। साक्षरता अभियान के लिए स्वेच्छा से समय देने वाले स्वयंसेवक/व्यक्ति इसके लिए आवेदन दे सकते हैं।
- (iv) के0आर0पी0 (मुख्य स्रोत व्यक्ति) का मुख्यालय प्रखण्ड में होगा। कार्यक्रमों के लिए योजना, कार्यान्वयन, अनुश्रवण, मूल्यांकन, प्रशिक्षण, प्रतिवेदन तैयार करने की दक्षता, नेतृत्व की क्षमता, प्रजातांत्रिक मूल्यों में आस्था, प्रतिबद्धता और सत्यनिष्ठा गुणों से युक्त व्यक्ति के.आर.पी. के रूप में ज्यादा उपयुक्त होंगे, ऐसी अपेक्षा है।
- (v) आवेदक उस जिले का स्थायी निवासी होना चाहिए। इसके लिए अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगा।
- (vi) वैसे कर्मी, जो किसी अन्य संस्थान/विभाग में कार्यरत नहीं हों, के0आर0पी0 की पात्रता के उम्मीदवार होंगे।
- (vii) आवेदन-पत्र के साथ स्वप्रमाणित आधार कार्ड की छाया प्रति लगाना आवश्यक होगा।
- (viii) अभ्यर्थी को मोबाइल/कम्प्यूटर के माध्यम से सूचना के आदान-प्रदान की जानकारी होनी चाहिए। इस हेतु उनके पास एन्ड्रायड/स्मॉर्ट फोन होना आवश्यक है।

### 4. चयन-प्रक्रिया

- मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के चयन हेतु राज्यस्तर पर विहित प्रपत्र में ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किये जाएँगे।
- राज्य स्तर पर जिलावार पैनल तैयार कर संबंधित जिला के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को उपलब्ध कराया जाएगा।
- जिलास्तर पर चयन के लिए निम्नवत् समिति गठित की जाती है :-

क्र०	पद	पदनाम
1.	अध्यक्ष	जिला पदाधिकारी
2.	सदस्य	जिला शिक्षा पदाधिकारी
3.	सदस्य	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत एस0सी0/एस0टी0 वर्ग के पदाधिकारी
4.	सदस्य	जिला पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अल्पसंख्यक वर्ग के पदाधिकारी
5.	सदस्य सचिव	जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)

- राज्य स्तर से जिला को उपलब्ध कराये गये पैनल पर जिला स्तरीय समिति विचार करेगी। अभ्यर्थी के सभी प्रकार के प्रमाण-पत्रों और अन्य संबंधित कागजातों आदि की जाँच जिला स्तर पर की जाएगी।

- अभ्यर्थी का चयन मेधा-सूची के आधार पर किया जायेगा। मेधा-सूची में निम्न प्रकार से अंक दिये जाएँगे-
  - क. मैट्रिक - अधिकतम 30 अंक
  - ख. इंटर - अधिकतम 30 अंक
  - ग. स्नातक - अधिकतम 30 अंक  
(उपर्युक्त सभी शैक्षणिक योग्यता में 45 प्रतिशत से कम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थी को 10 अंक, 45 से 59 प्रतिशत तक को 20 अंक एवं 60 प्रतिशत या उससे अधिक अंक होने पर 30 अंक दिये जाएँगे। स्नातक या समकक्ष में प्रतिष्ठा के अभ्यर्थी का प्रतिष्ठा विषय में प्राप्त अंकों का प्रतिशत तथा सामान्य स्नातक अभ्यर्थी के लिए कुल विषयों में प्राप्त अंकों के प्रतिशत को लिया जाएगा।)
  - घ. स्नातकोत्तर या उससे अधिक शैक्षणिक योग्यता - 10 अंक
- मैट्रिक, इंटर, स्नातक एवं स्नातकोत्तर या समकक्ष के प्राप्तांक (प्रतिशत में) के आधार पर ऊपर दिये गये निर्धारित अंक देते हुए इसे जोड़कर मेधा-सूची तैयार की जाएगी।
- मेधा-सूची जिला के वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रकाशित की जाएगी तथा इस पर आपत्ति प्राप्त की जाएगी। मेधा-सूची पर आपत्ति प्राप्त करने की तिथि प्रकाशन-तिथि से 15 दिनों तक निर्धारित की जाएगी। आपत्ति-प्राप्ति के अंतिम दिवस से तीन दिनों के अंदर आपत्ति की जाँच कर लिखित निर्णय लिया जाएगा। संशोधित सूची कमेटी द्वारा अनुमोदित कराकर जिला के वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। यह सूची 01 वर्ष के लिए वैध होगी।
- चयन पर दावा-आपत्ति होने की स्थिति में 15 दिनों के अंदर चयन के विरुद्ध प्रथम अपील संबंधित जिला पदाधिकारी के समक्ष की जा सकती है। प्रथम अपील के निर्णय से संतुष्ट नहीं होने की स्थिति में पुनः 15 दिनों के अंदर द्वितीय अपील प्रधान सचिव, शिक्षा विभाग/निदेशक, जन शिक्षा के समक्ष की जा सकती है, जिसका निराकरण 30 दिनों के अंदर किया जाएगा।
- समान मेधा अंक (प्राप्तांक) रहने पर अधिक उम्र वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जायेगी। समान अंक एवं समान उम्र होने पर अभ्यर्थी के नाम की अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार चयन किया जायेगा।
- अंतिम चयनित सूची से कोटिवार रिक्ति के अनुसार जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा विहित प्रपत्र में अनुबंध आधारित चयन-पत्र निर्गत होगा (अनुलग्नक-ग)। चयन-सूची में सर्वाधिक अंक प्राप्त व्यक्ति की अनुपलब्धता/योगदान नहीं देने/दस्तावेज फर्जी पाये जाने की स्थिति में मेधा सूची के नीचे क्रम वाले अभ्यर्थी का चयन किया जाएगा।
- चयनित अभ्यर्थियों को नियोजन के पूर्व शपथ-पत्र एवं एकरारनामा दायर करना होगा कि वे भविष्य में कभी भी स्थायी नियोजन या वेतनमान की माँग नहीं करेंगे। यह नियुक्ति शुद्ध अस्थायी रूप से तीन वर्षों के लिए की जाएगी। उनके कार्य का सतत मूल्यांकन किया जाएगा, उत्कृष्ट पाये जाने पर आगे भी उनकी सेवा जारी रखी जाएगी, अन्यथा उनकी सेवा समाप्त कर दी जाएगी।



### 5. प्रबोधन-भत्ता

प्रत्येक सदस्य को प्रतिमाह अनुश्रवण के लिये अधिकतम 20 दिनों के लिये 500/- रु० प्रतिदिन की दर से यात्रा-भत्ता का भुगतान किया जाएगा। सरकार द्वारा किसी तरह के परिवर्तन किये जाने पर तदालोक में भुगतान किया जाएगा।

### 6. प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण

प्रत्येक मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का प्रशिक्षण एवं उन्मुखीकरण राज्य स्तर पर किया जाएगा। प्रारंभिक प्रशिक्षण 7 (सात) दिनों का प्राप्त करने के पश्चात् ही योगदान मान्य समझा जाएगा, अन्यथा कार्य लेना-करना अवैध होगा।

### 7. मुख्य स्रोत व्यक्ति (के०आर०पी०) का कर्तव्य एवं दायित्व

- सभी मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) अपने-अपने प्रखण्ड में साक्षरता कार्यक्रम का प्रबोधन, अनुश्रवण, प्रशिक्षण, योजना-निर्माण एवं कार्यान्वयन का कार्य जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) एवं प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त निदेश के आलोक में करेंगे। सभी केन्द्रों के संचालन, बच्चों की शिक्षा तथा महिला साक्षरता में प्रखण्ड की उपलब्धि (नामांकन, उपस्थिति, गुणवत्ता) उनके कार्य का लक्ष्य होगा।
- इनकी भूमिका जाँच करने/निरीक्षण करने की नहीं होगी, बल्कि समर्थन, अनुश्रवण की होगी। के०आर०पी० अपने कार्य-क्षेत्र वाले प्रखण्ड के निर्धारित टोलों में संचालित साक्षरता केन्द्र एवं कोचिंग सेन्टर का अनुश्रवण एवं प्रबोधन करेंगे तथा शिक्षा सेवकों का उत्साहवर्द्धन कर उन्हें आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि उनके कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले टोले के सभी बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाएँ तथा महिलाएँ साक्षरता प्राप्त कर जगरूक बनें एवं उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके।
- जन शिक्षा निदेशालय द्वारा समय-समय पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों को प्रखण्ड स्तर पर संचालित करना, मासिक प्रतिवेदन भेजना, योजना-निर्माण, कार्यक्रम का अनुश्रवण इत्यादि इनका दायित्व होगा। कार्यक्रम के बेहतर संचालन हेतु के०आर०पी० प्रखण्ड स्तरीय पदाधिकारी (शिक्षा, स्वास्थ्य, जीविका आदि) से समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे।
- प्रत्येक माह के अंत में के०आर०पी० आगामी माह का अग्रिम भ्रमण कार्यक्रम तथा माह की समाप्ति पर अपना मासिक भ्रमण दैनंदिनी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को समर्पित करेंगे। जिला स्तर पर सभी प्रखण्डों के के०आर०पी० से प्राप्त भ्रमण दैनंदिनी को समेकित कर निदेशालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

### 8. स्थानांतरण

प्रत्येक 03 वर्ष पर के०आर०पी० का स्थानांतरण जिला स्तरीय समिति द्वारा जिले के दूसरे प्रखण्ड में किया जाएगा। आवश्यकतानुरूप/विशेष परिस्थिति में/प्रशासनिक दृष्टिकोण से जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरांत 03 वर्ष के भीतर भी के०आर०पी० का स्थानांतरण जिले के दूसरे प्रखण्ड में किया जा सकता है।

### 9. नियोजन की अवधि एवं नियोजन समाप्त करने की प्रक्रिया

- मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) का चयन 60 वर्ष की आयु या योजना की समाप्ति, जो पहले हो, तक कार्य किये जाने हेतु किया जाएगा। 60 वर्ष की आयु के पश्चात् उनसे कार्य नहीं लिया जाएगा तथा अवधि-विस्तार नहीं की जाएगी।
- प्रत्येक के०आर०पी० के कार्यों का सतत् मूल्यांकन निर्धारित मापदंड पर वर्ष में दो बार किया जायेगा तथा उनकी रैंकिंग की जाएगी। लगातार दो बार कार्य उत्कृष्ट नहीं रहने पर चयन-मुक्त करने की कार्रवाई की जाएगी। इस हेतु जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) के०आर०पी० से कारण-पृच्छा के बाद अपनी अनुशंसा पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से जिला पदाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त इन्हें चयन-मुक्त करने की कार्रवाई करेंगे।
- निम्नांकित स्थितियों में भी उन्हें चयन-मुक्त किया जा सकेगा :-
  - क. आपराधिक गतिविधि में संलग्न होने पर।
  - ख. शराब पीने/शराब बेचने के कार्य में शामिल होने पर तथा सरकार द्वारा प्रतिबंधित किसी कृत्य में शामिल पाये जाने पर।
  - ग. 30 दिन से अधिक बिना सूचना एवं बिना ठोस कारण अनुपस्थित रहने पर।
  - घ. समाज-विरोधी या अराजकतावादी गतिविधियों या कुकृत्य में शामिल होने पर।
  - ङ. शरीर से पूरी तरह अक्षम या कार्य करने के लायक नहीं रहने की स्थिति में मेडिकल बोर्ड की जाँच के पश्चात् उन्हें 60 वर्ष से पूर्व सेवा-मुक्त किया जा सकेगा।

### 10. आवश्यक निर्देश -

- मार्गदर्शिका के लागू होने से पूर्व के सभी निर्देश, जो इससे भिन्न एवं इतर/विरोधी होंगे, निरस्त समझे जाएँगे।
- निर्गत मार्गदर्शिका पूर्व से कार्यरत के.आर.पी. पर भी लागू होगी।
- मार्गदर्शिका में आवश्यकतानुसार संशोधन विहित प्रक्रिया के द्वारा की जाएगी।
- नियमावली के अनुमोदनोपरान्त केवल रिक्त पदों पर ही के०आर०पी० का चयन किया जाएगा। यदि भविष्य में कोई पद रिक्त होता है, तो पुनः इसी प्रक्रिया से के०आर०पी० का चयन किया जाएगा।

\*\*\*\*\*





**जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना**  
मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) के नियोजन हेतु आवेदन-पत्र

कार्यालय द्वारा भरा जाएगा  
निर्धारित जाति .....

आरक्षण (महिला) .....

आवेदित जिला का नाम-

पासपोर्ट आकार का  
स्व-अभिप्रेमाणित फोटो  
दिपकाएँ।

- आवेदक/आवेदिका का नाम .....
- पिता/पति का नाम .....
- माता का नाम .....
- जाति ..... कोटि .....
- लिंग (महिला/पुरुष) .....
- (क) जन्मतिथि ..... दिन   माह   वर्ष      
(ख) उम्र (दिनांक 01.04.2017 को) ..... वर्ष   माह   दिन
- स्थायी निवास  
(क) गाँव/मुहल्ला .....
- (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) .....
- (ग) प्रखण्ड .....
- (घ) जिला ....., (च) राज्य ....., (छ) पिन कोड .....
- (ज) फोन/मोबाइल नं०
- शैक्षणिक योग्यता -

योग्यता	विद्यालय/महाविद्यालय/ विश्वविद्यालय	वर्ष	कुल अंक	प्राप्तांक	प्रतिशत
मैट्रिक					
इंटर					
स्नातक					
स्नातकोत्तर					
अन्य					

घोषणा :- मेरी जानकारी और विश्वास में मेरे द्वारा उपर्युक्त सूचनाएँ सत्य हैं एवं असत्य पाए जाने पर मेरा घयन रद्द कर मेरे विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।

स्थान-

दिनांक -

आवेदक का पूरा नाम

हस्ताक्षर

नोट- आवेदन-पत्र के साथ निम्न दस्तावेज की स्वयं-अभिप्रेमाणित छायाप्रति संलग्न करें- 1. शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण-पत्र 2. आयु संबंधी वैध प्रमाण-पत्र 3. स्थायी आवासीय प्रमाण-पत्र (अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत) 4. आधार कार्ड।

✕-----✕-----✕

मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) नियोजन के लिए आवेदन-पत्र की प्राप्ति-रसीद  
श्री/सुश्री/श्रीमती ....., पिता/पति श्री .....

(क) गाँव/मुहल्ला ..... (ख) पंचायत/वार्ड (शहरी) .....

(ग) प्रखण्ड/नगर निकाय ..... (घ) जिला ..... का आवेदन-पत्र  
मुख्य स्रोत व्यक्ति (के.आर.पी.) के नियोजन हेतु दिनांक ..... को प्राप्त किया। इन्होंने  
जिला ..... के लिए आवेदन दिया है जिसका क्र० सं० ..... है।

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर एवं मुहर

✓

जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना  
मुख्य स्रोत व्यक्ति (Key Resource Person) चयन : मेधा सूची प्रपत्र

जिला .....

क्र० स०	आवेदक/आवेदिका का नाम	पिता/पति का नाम	महिला/ पुरुष	जन्म तिथि	जाति/कोटि	अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्राप्तांक का प्रतिशत एवं उसके आधार पर निर्धारित अंक										कुल प्राप्त अंक
						मैट्रिक		इंटर		स्नातक		स्नातकोत्तर		अन्य		
						प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक (प्रतिशत में)	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक (प्रतिशत में)	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक (प्रतिशत में)	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक (प्रतिशत में)	प्राप्तांक (प्रतिशत में)	निर्धारित अंक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17





जन शिक्षा निदेशालय, बिहार, पटना

श्री/ श्रीमती : .....

पिता/ पति का नाम : .....

ग्राम : .....

पोस्ट : .....

पंचायत/ वार्ड समूह (कलस्टर/ शहरी): .....

प्रखण्ड/ नगर निकाय : .....

अनुमंडल : ..... जिला : .....

आपको सूचित किया जाता है कि जन शिक्षा निदेशालय, पटना की विज्ञप्ति संख्या-..... दिनांक-..... के आलोक में जिला ..... के लिए प्रकाशित अंतिम चयन सूची के आधार पर आपका चयन "मुख्य स्रोत व्यक्ति (के.आर.पी.)" के रूप में किया जाता है। वर्तमान में आपका पदस्थापन प्रखण्ड ..... में किया जाता है। के0आर0पी0 के लिए सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित मार्ग-निर्देशिका में दिये गये निदेश, नियम एवं शर्तों के अनुरूप कार्य करना आपका दायित्व होगा।


अनुरोध है कि आप पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अंदर आवंटित प्रखण्ड में योगदान देना सुनिश्चित करें, अन्यथा समझा जाएगा कि आप इस कार्य को करने में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसी स्थिति में पैनल के दूसरे व्यक्ति का चयन कर लिया जाएगा।

स्थान : .....

दिनांक : .....

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता)





अपनी शिक्षा चलो बाँट आँ

खुद पढ़ें, सबको पढ़ना सिखाएँ

अपनी शिक्षा चलो बाँट आँ।

तोड़ लाँगे सारे सितारे

आओ, जुगनू पकड़ लाँ सारे

उनसे हर घर में दीपक जलाएँ

अपनी शिक्षा चलो बाँट आँ।.....

कितना अज्ञान दुनिया में देखो

दोनों हाथों में इनको समेटो,

आओ शिक्षा की फसलें उगाएँ

अपनी शिक्षा चलो बाँट आँ।.....

सबके होठों पे कलियाँ खिली हों

सबकी पलकों में खुशियाँ सजी हों,

मिलके शिक्षा के सब गीत गाएँ।.....